

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/37/2015/19/यो 1869

भोपाल दिनांक 04/04/2016

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक।


—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक जो दिनांक 07.01.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	खरगोन	42/5054	महेश्वर से जलकोटी मार्ग	6.20	885.05 ✓
2	रतलाम	64/5054	आक्यादेह शुजापुर से पंचेवा मार्ग	4.40	301.55 ✓
3	शाजापुर	64/5054	पिपलोदा से बुमतलाई मार्ग	3.34	208.01 ✓
4	अशोकनगर	24/5054	तुलसी सरोवर पलकटोरी मार्ग	4.76	560.31 ✓
5	भिण्ड	24/5054	पाण्डेय का कुआ से लामपुरा तक पहुँच मार्ग	3.00	146.77 ✓
6	डिण्डोरी	24/5054	कोहानी देवरी से मानिकपुर तक मार्ग	6.90	381.00 ✓

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में माँग संख्या 24/5054, 42/5054 एवं 64/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

PATIL/SFC-A-2016-58


4.4.16

- 3/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।
- 4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-06 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश/अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक 04/04/2016

पृ0 क्रमांक एफ-43/37/2015/19/यो 1870
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (पश्चिम परि0) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
 2. मुख्य अभियंता (उज्जैन परि0) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
 3. मुख्य अभियंता (उत्तर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
 - ✓ 4. मुख्य अभियंता (मध्य परि0) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।
 5. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 05 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

(चन्द्रप्रकाश/अग्रवाल)
सचिव 4-4-16

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/ /2016/19/यो 467
प्रति,

भोपाल दिनांक 27 /01/2016

मुख्य अभियंता
म0प्र0 सड़क विकास निगम
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक जो दिनांक 07.01.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार राजगढ़-शाजापुर-सीहोर अंतर्गत पचौर-शुलाजपुर-आष्टा-कन्नौद रोड़ शहरी क्षेत्र का चौड़ीकरण कार्य लंबाई 2.10 कि0मी0 जिसकी लागत रू0 649.68 लाख (रू0 छः करोड़ उनपचास लाख अडसठ हजार) केवल से अधिक न हो की योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में माँग संख्या 24/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यो हेतु पुनरीक्षित प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताये पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्राक्कलनित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तो के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-पुनरीक्षित प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल) 27-1-16
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 27 /01/2016

पृ0 क्रमांक एफ-43/ /2016/19/यो 468
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल) 27-1-16
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/37/2015/19/यो 465
प्रति,

भोपाल दिनांक 27/01/2016

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक।

—0—


राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक जो दिनांक 07.01.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	खरगोन	24/5054	ग्वालु थरवर काटकूट मार्ग	15.52	725.09
2	सीहोर	42/5054	जोनतला से खितवई माग्र	3.00	341.57
3	सीहोर	42/5054	सिलेगना से जैत नारायणपुर हनुमान मंदिर मार्ग	3.00	298.07
4	सीहोर	42/5054	सागपुर से बासगहन मार्ग	2.50	311.41
5	शिवपुरी	24/5054	देवरी से डाबियाजगन मार्ग	3.60	289.97

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 42/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यों हेतु पुनरीक्षित प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्राक्धानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

Shri Bhalu
30/1/16

PATIL SEC-A-2016-7



3/ उक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र-05 पुनरीक्षित प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश/अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक 27/01/2016

पृ0 क्रमांक एफ-43/37/2015/19/यो 466

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (राज0 परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (पश्चिम परि0) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
3. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
अप्रेषित।

सहपत्र-शून्य

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/ /2016/19/यो 467
प्रति,

भोपाल दिनांक 27 /01/2016

मुख्य अभियंता
म0प्र0 सड़क विकास निगम
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक जो दिनांक 07.01.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार राजगढ़-शाजापुर-सीहोर अंतर्गत पचौर-शुलाजपुर-आष्टा-कन्नौद रोड़ शहरी क्षेत्र का चौड़ीकरण कार्य लंबाई 2.10 कि०मी० जिसकी लागत रू० 649.68 लाख (रू० छः करोड़ उनपचास लाख अडसठ हजार) केवल से अधिक न हो की योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में माँग संख्या 24/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यो हेतु पुनरीक्षित प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताये पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-पुनरीक्षित प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल) 27-1-16

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक 27 /01/2016

क्रमांक एफ-43/ /2016/19/यो 468

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/37/2016/19/यो 469
प्रति,

भोपाल दिनांक 27 /01/2016

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक।
(खण्डवा जिले के अंतर्गत रन्हाई से जामन्या सरसरी मार्ग)

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक जो दिनांक 07.01.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार खण्डवा जिले के अंतर्गत रन्हाई से जामन्या सरसरी मार्ग लंबाई 4.00 कि0मी0 जिसकी लागत रू0 428.13 लाख (रू0 चार करोड़ अठ्ठाईस लाख तेरह हजार) केवल से अधिक न हो की योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में माँग संख्या 42/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:- ~~प्रमुख सचिव~~

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल) 27.1.16

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक 27 /01/2016

पृ0 क्रमांक एफ-43/37/2016/19/यो 470

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (पश्चिम परि0) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल) 27.1.16
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/37/2015/19/यो 463

भोपाल दिनांक 27/01/2016

प्रति,

1 प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

2 परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग
पी0आई0यू0 भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक जो दिनांक 07.01.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार कार्य की लागत 1.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट पुस्तिका में प्रकाशित करवाना आवश्यक न होने के कारण दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना /सिंहस्थ मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि0मी0 में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	हरदा	24/5054	बारंगा से चौकड़ी व्हाया बम्हनगांव धनवाड़ा देवपुर मिसिंग लिंक सी. सी. मार्ग का निर्माण	1.01	94.50
2	हरदा	24/5054	बारंगा से चौकड़ी व्हाया बम्हनगांव धनवाड़ा देवपुर मिसिंग लिंक सी. सी. मार्ग का निर्माण	0.77	86.13
3	भोपाल	24/5054	ग्राम बिशनखेड़ी पहुँच मार्ग	1.85	98.28
4	उज्जैन	78	सिंहस्थ-2016 के अंतर्गत पिपलीनाका से जुनासोमवारिया उज्जैन तक स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य	-	50.69
5	होशंगाबाद	67	आंवलीघाट जिला होशंगाबाद में रेस्ट हाउस का निर्माण।	-	93.13

PATILSFC-A-2016-5

219053
30/1/16

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में माँग संख्या 24/5054 एवं 78 एवं 67 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उपरोक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-05 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश/अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 27/01/2016

पृ0 क्रमांक एफ-43/37/2015/19/यो 464
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (राज0 परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 भोपाल।
3. मुख्य अभियंता (उज्जैन परि0) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
4. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक:-एफ-43/37/2015/19/यो/461
प्रति,

भोपाल दिनांक 27/01/2016

- 1 सचिव,
म0प्र0 शासन
वित्त विभाग
- 2 सचिव,
म0प्र0 शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
- 3 सचिव,
म0प्र0 शासन लो0नि0वि0
भोपाल।
- 4 प्रबंध संचालक
म0प्र0 सड़क विकास निगम
भोपाल।
5. सलाहकार,
म0प्र0 राज्य योजना आयोग,
भोपाल
- 6 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल
7. परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग
पी.आई.यू. भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक।

लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 07.01.2016 को संपन्न हुई थी।
बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

सहपत्र:- कार्यवाही विवरण

कमांक:-एफ-43/37/2015/19/यो/
प्रतिलिपि:-

स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव म0प्र0शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल।
सहपत्र:-कार्यवाही विवरण

(एस0 एस0 वर्मा)
27/01/2016

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक /01/2016

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग



लोक निर्माण विभाग की स्थाई वित्तीय समिति की 131वीं बैठक

दिनांक 07.01.2016

कार्यवाही विवरण

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 81/आर-1703 /चार/ब-1/2011 दिनांक 18/01/2012 द्वारा रुपये 10.00 करोड़ तक की लागत की योजनाओं के परीक्षण एवं स्वीकृति हेतु स्थायी वित्तीय समिति का गठन किया गया है। इस क्रम में दिनांक 07.01.2016 को स्थायी वित्तीय समिति की 131वीं बैठक प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

1	श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल	सचिव, म. प्र. शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल	सदस्य
2	श्री अखिलेश अग्रवाल	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल	सदस्य
3	श्री पी. सी. बारस्कर	सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग भोपाल	सदस्य
4	श्री अजय चौबे	उप सचिव, म. प्र. शासन वित्त विभाग भोपाल	सदस्य
5	श्री एस0 डी0 कनोजे	उपनिर्वाहक (वित्त), आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य

बैठक में बजट में सम्मिलित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने 01 सड़क कार्य, बजट में सम्मिलित कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने 9 सड़क कार्य तथा 01 सड़क कार्य (म. प्र. स. वि. नि.), 01 विद्युतीकरण कार्य (सिंहस्थ मद) एवं 01 भवन कार्य पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु 05 सड़क कार्य, 01 सड़क कार्य (म. प्र. स. वि. नि.) इस प्रकार कुल 19 कार्यों के प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यों के संबंध में निम्नानुसार अनुशंसाएँ की गई:-

बजट में सम्मिलित, प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु सड़क कार्य :-

स. क्र.	जिला	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि. मी.)	बजट में कार्य की स्थिति	बजट में अंकित राशि (₹. लाख में)	कार्य की कुल लागत (₹. लाख में)	समिति द्वारा अनुशंसित राशि (₹. लाख में)	समिति द्वारा की गई अनुशंसा
1	खण्डवा	42	रन्हाई से जामन्या सरसरी मार्ग	4.00	मु. ब. 2013-14 मार्ग संख्या 42 मद क्र. 03 स. क्र. 84	280.00	428.13	428.13	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।

बजट में सम्मिलित कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु सड़क कार्य :-

स. क्र.	जिला	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि. मी.)	बजट में कार्य की स्थिति	बजट में अंकित राशि (₹. लाख में)	कार्य की कुल लागत (₹. लाख में)	समिति द्वारा अनुशंसित राशि (₹. लाख में)	समिति द्वारा की गई अनुशंसा
1	खरगोन	42	महेश्वर से जलकोटी मार्ग	6.20	नवीन कार्य	0.00	885.05	885.05	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की बजट में शामिल होने पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।
2	रतलाम	64	आक्यादेह शुजापुर से पंचेवा मार्ग	4.40	नवीन कार्य	0.00	301.55	301.55	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की बजट में शामिल होने पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।
3	शाजापुर	64	पिपलोदा से बुमतलाई मार्ग	3.34	नवीन कार्य	0.00	208.01	208.01	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की बजट में शामिल होने पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।
4	अशोकनगर	24	तुलसी सरोवर पलकटोरी मार्ग	4.76	नवीन कार्य	0.00	560.31	560.31	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की बजट में शामिल होने पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।
5	मिण्ड	24	पाण्डेय का कुआ से लामपुरा तक पहुँच मार्ग	3.00	नवीन कार्य	0.00	146.77	146.77	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की बजट में शामिल होने पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।
6	डिण्डोरी	24	कोहानी देवरी से मानिकपुर तक मार्ग	6.90	नवीन कार्य	0.00	381.00	381.00	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की बजट में शामिल होने पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।
7	हरदा	24	बारंगा से चौकड़ी खायी बम्हनवांव धनवाड़ा देवपुर मिसिंग लिंक सी. सी. मार्ग का निर्माण	1.01	नवीन कार्य	0.00	94.50	94.50	कार्य की लागत रुपये 01.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट में अंकित होना आवश्यक नहीं है। अतः कॉलम नं. 09 में अंकित राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।

हरदा	24	बारंगा से चौकड़ी खाया बम्हनगांव घनवाड़ा देवपुर भिसिंग लिंक सी. सी. मार्ग का निर्माण	0.77	नवीन कार्य	0.00	86.13	86.13	कार्य की लागत रुपय 01.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट में अंकित होना आवश्यक नहीं है। अतः कॉलम नं. 09 में अंकित राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।
भोपाल	24	ग्राम बिरानखेड़ी पहुँच मार्ग	1.85	नवीन कार्य	0.00	98.28	98.28	कार्य की लागत रुपय 01.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट में अंकित होना आवश्यक नहीं है। अतः कॉलम नं. 09 में अंकित राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।

बजट में सम्मिलित कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु सड़क कार्य :- (म. प्र. स. वि. नि.)

स. क्र.	जिला	संग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि. मी.)	बजट में कार्य की स्थिति	बजट में अंकित राशि (रु. लाख में)	कार्य की कुल लागत (रु. लाख में)	समिति द्वारा अनुशंसित राशि (रु. लाख में)	समिति द्वारा की गई अनुशंसा
1	ग्वालियर	24	डबरा-मितरवार-हरसी मार्ग पर बायपास निर्माण कार्य।	3.05	नवीन कार्य	0.00	972.63	972.63	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की बजट में शामिल होने पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।

बजट में सम्मिलित कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु विद्युतीकरण कार्य :-

स. क्र.	जिला	संग संख्या	कार्य का नाम	बजट में कार्य की स्थिति	बजट में अंकित राशि (रु. लाख में)	कार्य की कुल लागत (रु. लाख में)	समिति द्वारा अनुशंसित राशि (रु. लाख में)	समिति द्वारा की गई अनुशंसा
1	उज्जैन	78	सिंहस्थ-2016 के अंतर्गत पिपलीनाका से जुनासोमवारिया उज्जैन तक स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य	नवीन कार्य	0.00	50.69	50.69	कार्य की लागत रुपये 01.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट में अंकित होना आवश्यक नहीं है। अतः कॉलम नं. 09 में अंकित राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।

पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु सड़क कार्य

स. क्र.	जिला	संग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार (कि. मी.)	लंबाई पुन. प्रशा. स्वी. अनुसार (कि. मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति (रु. लाख में)	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति (रु. लाख में)	समिति द्वारा अनुशंसित राशि (रु. लाख में)	समिति द्वारा की गई अनुशंसा
1	खरगोन	24	ग्वालु धरवर काटकूट मार्ग	16.00	15.52	334.00	725.09	725.09	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।
2	सीहोर	42	जोनतला से खितवई मार्ग	3.00	3.00	262.53	341.57	341.57	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।
3	सीहोर	42	सिलेगना से जैत नारायणपुर हनुमान मंदिर मार्ग	3.00	3.00	223.44	298.07	298.07	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।
4	सीहोर	42	सागपुर से बासगहन मार्ग	2.50	2.50	209.86	311.41	311.41	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।
5	शिवपुरी	24	देवरी से डाबियाजगन मार्ग	3.60	3.60	183.36	289.97	289.97	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।

पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु सड़क कार्य (म. प्र. स. वि. नि.)

स. क्र.	जिला	संग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार (कि. मी.)	लंबाई पुन. प्रशा. स्वी. अनुसार (कि. मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति (रु. लाख में)	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति (रु. लाख में)	समिति द्वारा अनुशंसित राशि (रु. लाख में)	समिति द्वारा की गई अनुशंसा
1	राजगढ़-शाजापुर-सीहोर	24	पचौर-गुलाजपुर-आष्टा-कनौद रोड राष्ट्रीय क्षेत्र का चौड़ीकरण कार्य	2.10	2.10	613.13	665.97	649.68	कॉलम नम्बर 09 में अंकित राशि की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।


[Handwritten signature]


[Handwritten mark]


न सम्मिलित कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु भवन कार्य :-


क्र.	जिला	गांव संख्या	कार्य का नाम	बजट में कार्य की स्थिति	बजट में अंकित राशि (रु. लाख में)	कार्य की कुल लागत (रु. लाख में)	समिति द्वारा अनुसंधित राशि (रु. लाख में)	समिति द्वारा की गई अनुसंधा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	होशंगाबाद	67	आंवलीघाट जिला होशंगाबाद में रेस्ट हाउस का निर्माण।	नवीन कार्य	0.00	93.13	93.13	कार्य की लागत रुपये 01.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट में अंकित होना आवश्यक नहीं है। अतः कॉलम नं. 09 में अंकित राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुसंधा की गई।

बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई।



(प्रमोद अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
लोक निर्माण विभाग



(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
लोक निर्माण विभाग


(अंखलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग


(पी. सी. बारस्कर)
सलाहकार

मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग भोपाल


(अजय चौधरी)
उपसचिव
वित्त विभाग


(एस0 डी0 कनौजे)
उपनियंत्रक (वित्त)
आदिम जाति कल्याण विभाग